सं0-36/2015/546/62-2-2015-2/3(08)/2002

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 04 मार्च,2015

विषय- शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना "आर0एम0आई0एस0" के अन्तर्गत गठित सांख्यिकीय सेल के पदों की निरन्तरता वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-163/ल0सिं0/सां0से0/स्था0/2014-15, दिनांक 09-02-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पोषित योजना "आर0एस0आई0एस0" के अन्तर्गत शासनादेश सं0-4646/62-2-99-2/2(17)/1994, दिनांक 23-02-2000 द्वारा सांख्यिकीय सेल का गठन करते हुए अपेक्षित पदों की कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सृजित/स्वीकृत किया गया था। इन स्वीकृत पदों में से निम्न पदों की निरन्तरता शासनादेश सं0-494/62-2-2012-2/3(08)/2002, दिनांक 11-02-2011 द्वारा दिनांक 28-02-2012 तक एवं शासनादेश सं0-447/62-2-2012-2/3(08)/2002, दिनांक 31-7-2012 तथा अन्तिमबार शासनादेश सं0-2254/62-2-2014-2/3(08)/2002, दिनांक 04-9-2014 द्वारा दिनांक 28-02-2015 तक के लिए प्रदान की गयी है:-

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पदों की संख्या
1-	उपनिदेशक	`&15600-39100	`&6600	01
2-	तकनीकी/सांख्यिकीय सहायक	`&9300-34800	`&4200	02
3-	आशुलिपिक	`&5200-20200	`&2800	01
4-	कनिष्ठ लिपिक	`&5200-20200	`&2000	01
5-	अनुसेवक (चपरासी)	`&4440-7400	`&1800	01
	कुल			06

3- सांख्यिकीय सेल के इन पदों को दिनांक 29-02-2016 तक पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 23-02-2000 व 31-07-2012 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन चलते रहने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत **"लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय योजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0103-रेशनलाइजेशन आफ माइरन इरीगेशन स्टैस्टिस्टिकल सेल का गठन"** के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-ए-2-2574/दस-98, दिनांक 02-12-1998 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रह है।

भवदीय,

ह0/

(चन्द्र प्रकाश)

प्रमुख सचिव।

सं0-36/2015/546(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- संयुक्त निदेशक, सांख्यिकीय सेल/जल संसाधन मंत्रालय, भूतल कमरा सं0-6, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

3- अधीक्षण अभियंता/संगणना आयुक्त, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।

4- निदेशक, सांख्यिकीय सेल, कृषि विभाग।

5- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।

6- प्रमुख अभिंयता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।

7- कोषाधिकारी, लखनऊ।

8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

9- वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

10- राज्य योजना आयोग-1

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।